मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
(पायलटों का लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण)
विनियम, 2007

MUMBAI PORT TRUST
(LICENSING AND CONTROL OF PILOTS)
REGULATIONS, 2007

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
(पायलटों का लायसेंसिंग एवं नियंत्रण), विनियम 2007

वि ष य सू ची

विनियम			पृष्ठ
	भाग - I		
1.	संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ	...	4
2.	परिभाषाएं	...	4
	भाग-II		
	लायसेंसिंग -- अर्हता और शर्तें		
3.	अभ्यर्थियों की अर्हता	...	5
4.	पायलट लायसेंस	...	6
5.	पोर्ट में पायलट सेवा में भर्ती होने की शर्तें	...	7
	भाग - III		
	प्रशिक्षण और परीक्षा		
6.	प्रशिक्षण	...	7
7.	परीक्षा के विषय	...	7
8.	परीक्षा समिति	...	8
9.	परीक्षा अनुत्तीर्ण होना	...	8
10.	लायसेंस जारी करना	...	8
11.	पायलटों का वर्गीकरण	...	8
	भाग - IV		
	शोअर स्टेशन - मानिटरिंग एवं नियंत्रण		
12.	प्रवेश-स्थान वर पायलट का जहाज पर/से चढना/उतरना तथा पायलट लॉंच/जहाज की पहचान	...	9

विनियम			पृष्ठ
13.	डॉक-मास्टर्स के शोअर-स्टेशन पर कार्य	...	10
14.	पायलट-स्टेशन और शोअर-स्टेशन	...	10
15.	पायलटों का प्रचालनीय नियंत्रण	...	10
16.	अंदर आनेवाले जहाजोंपर चढना	...	10
17.	विशिष्ट परिस्थितियों में अधिक टनेज के जहाजों का कार्यभार संभालने के लिए पायलटों को निदेश देने का अधिकार	...	10
18.	पायलटों की जहाज पर उपस्थिति संबंधी विनियम	...	10

भाग - V

पायलट के कर्तव्य

19.	पायलट द्वारा प्राधिकारियों के आदेशों का पालन	...	10
20.	पायलट का आचरण	...	11
21.	पायलट, उनके द्वारा दी जानेवाली सेवाओं के प्रमाणपत्र प्राप्त करें	...	11
22.	पायलट सही समय पर जहाजों पर चढे	...	11
23.	पायलट द्वारा यह देखना कि जहाज और उसके उपकरण अच्छी स्थिति में है	...	11
24.	पायलट द्वारा जहाज के परिचालन की जानकारी ली जाना	...	11
25.	पायलट के बाहरी कार्यों का आरंभ	...	11
26.	पायलट के बाहरी कार्यों की समाप्ति	...	12
27.	पायलट के आंतरिक कार्यों का आरंभ	...	12
28.	पायलट के आंतरिक कार्यों की समाप्ति	...	12

विनियम			पृष्ठ
29.	जहाजों का स्थान बदलना	...	12
30.	जहाज के बंदरगाह में आगमन पर पायलटों द्वारा रिपोर्ट करना	...	13
31.	यदि सिग्नल प्रतिकूल हो तो, पायलट द्वारा जहाज गोदी में न लाना	...	13
32.	कामपर होने के समय, पायलट अपना लायसेंस आदि साथ रखें,	...	13
33.	लायसेंस गुम हो जाना	...	13
34.	पायलटों द्वारा नौसंचालन चिन्हों, आदि में किन्हीं परिवर्तनों की सूचना देना	...	13
35.	पायलटों द्वारा दुर्घटना की रिपोर्ट देना	...	13
36.	पायलटों द्वारा संगरोध और सुरक्षा अनुपालनों की सुनिश्चिति	...	14
	भाग - VI		
	प्रशासनिक प्रक्रिया		
37.	कंट्रोल स्टेशन (नियंत्रण स्थानक) पर लॉग-बुक रखना	...	14
38.	वरिष्ठ पायलट द्वारा कनिष्ठ पायलटों एवं परिवीक्षाधीन पायलटों को सूचनाएं देना	...	14
39.	पायलटों द्वारा साक्ष्य	...	14
40.	पायलटों द्वारा चार्टस् की परीक्षा	...	15
41.	वर्दी	...	15
	भाग - VII		
	सामान्य		
42.	अर्थनिर्णय	...	15
43.	रद्द करना एवं बनाए रखना	...	15

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पायलटों का लायसेंसिंग एवं नियंत्रण), विनियम 2007

जीएसआर116(E)- मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के साथ पढी जानेवाली धारा 124 की उपधारा (1) के परंतुक (प्रोविसो) द्वारा दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए तथा मुंबई पोर्ट (पायलटों का लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण) विनियम, 1975 का अधिक्रमण कर मुंबई बंदरगाह का विश्वस्त मंडल कथित अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अनुमोदन से निम्न विनियम बनाता है:

भाग - I

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -

(1) ये विनियम मुंबई बंदरगाह (पायलटों का लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण) विनियम 2007 कहलाये जायेंगे.

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे.

2. परिभाषाएं - जबतक कि अन्यथा आवश्यक नहीं होगा, तबतक इन विनियमों में :-

(1) "मंडल", "अध्यक्ष" और "उपाध्यक्ष" शब्दों का अर्थ वही होगा, जो मेजर पोर्ट ट्रस्टस् अधिनियम 1963 (1963 का 38) में है.

(2) "नियंत्रण स्थानक" से तात्पर्य है, वह स्थानक, जहां से पायलटों का जहाज पर चढना/से उतरना और अन्य गतिविधियों का नियंत्रण और मॉनिटरींग किया जाता है.

(3) "उप संरक्षक" - अर्थात वह अधिकारी जिसे पायलटेज का निदेशन और व्यवस्थापन सौंपा गया है.

(4) "डॉक मास्टर"- अर्थात वह अधिकारी जिसे उप संरक्षक द्वारा पत्तन में, जहाजों के वहन के संबंध में सौंपे गये कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है; इसमें वरिष्ठ डॉक मास्टर का भी समावेश है.

---

1. दिनांक 25 अक्तूबर 2005 के न्यासी संकल्प सं.125 के अंतर्गत मंडल द्वारा; तथा पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 25 अप्रैल 2007 के पत्र क्र.पीआर-16014/1/2004-पीजी (1) नुसार केंद्र सरकार द्वारा मंजूर (दिनांक 1 मार्च 2007 से लागू).

2. दिनांक 1 मार्च 2007 से लागू

(5) "हार्बर मास्टर"- अर्थात वह अधिकारी जो उप संरक्षक द्वारा समय-समयपर सौंपे जानेवाले कार्य संपन्न करने के लिए नियुक्त किया गया हो.

(6) "अनिवार्य पायलटेज जल की सीमाएं" से तात्पर्य है कि वे सीमाएं जो भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत निर्धारित है.

(7) "पायलट" से तात्पर्य है; इन विनियमों के अंतर्गत लायसेंस प्राप्त ऐसा अधिकारी; जो, उपसंरक्षक द्वारा उसे सौंपे गए पायलटेज और अन्य कार्य करता है और इनमें "मास्टर पायलटों" का भी समावेश है.

(8) "पायलट लायसेंस" से तात्पर्य है, किसी व्यक्ति को, जहाजों का, पत्तन की पत्तन सीमा के भीतर पायलटेज करने हेतु दिया गया लायसेंस.

(9) "बंदरगाह" - अर्थात मुंबई बंदरगाह.

भाग - II

लायसेंसिंग : अर्हता और शर्ते

3. उम्मेदवार की योग्यताएं -

(1) पायलट लाइसेंस का उम्मेदवार :-

(क) भारतीय राष्ट्रीयत्व का हो

(ख) अच्छे चरित्र एवं संयम का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें

(ग) उसके पास :

(i) भारत सरकार या उसके समकक्ष (प्राधिकार) द्वारा दिया जानेवाला "सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटन्सी अॅज मास्टर फॉरेन गोइंग (विदेश जानेवाले) के नाते सक्षम होने का प्रमाणपत्र होगा, और यदि उसके पास विदेश जानेवाले जहाजपर "फर्स्ट मेट" के रुप में काम का छः महीनों का अनुभव हो, तो उसे वरियता दी जाएगी." या

(ii) नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी किया गया निकर्षण मास्टर का प्रमाणपत्र धारण किया हुआ हो तथा निकर्षण मास्टर के रुप में अधिमानतः कम से कम दो वर्षों का अनुभव हा; या

(iii) नौवहन महानिदेशालय के साथ समय-समयपर परामर्श करके मंडल द्वारा जो भी निर्णय लिया गया हो उसके अनुसार पायलटों के आंतरिक प्रशिक्षण में पोर्ट में पायलट के रुप में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किया हुआ हो.

(घ) ऐसे काम के लिए अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किसी चिकित्सा प्राधिकारी से वह शारीरिक स्वस्थता का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा; और

(च) जबतक अध्यक्षद्वारा अन्यथा तय नहीं होता तबतक वह परिवीक्षा प्रशिक्षण के लिए कम से कम छः महीनों की अवधि व्यतीत करेगा, और निर्धारित परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होगा.

बशर्ते कि निम्नलिखित पर्याप्त तथा वैध कारणों के लिए परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि छः माह से अधिक बढायी जाए. जैसे कि, -

(i) उम्मेदवार उसकी अपनी बीमारी के कारण प्रशिक्षण के पक्ष पूर्ण करने में असमर्थ रहा हो या उसे पर्याप्त तथा वैध कारणों के लिए अवकाश लेना पडा हो या किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय आपत्तिक स्थिति हो;

(ii) पोर्ट या भारत सरकार के हित में परिवीक्षाधीन पायलट को कुछ अन्य कार्य भी सौंपना आवश्यक होता है (पूर्व करार के साथ) जैसे कि निकर्षण मास्टर, बर्थिंग मास्टर, आदि तथा इस कारण वह अपनी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाया हो;

(iii) किन्हीं वैध कारणों के लिए उम्मेदवार बारह महिनों की निर्धारित अवधि में अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता हो तथा अध्यक्ष के विचारों से उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए समुचित अवसर दिया जाना जरुरी हो;

(iv) अजा/अज के उम्मेदवारों के बारे में, विशेष अतिरिक्त प्रशिक्षण / मार्गदर्शन आवश्यक प्रतीत होता हो.

बशर्ते आगे की निम्न परिस्थितियों में परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि कम की जा सकती है.

(i) यदि परिवीक्षाधीन पायलट मुंपोट्र में पायलट रहा हो तथा बाद में मुंपोट्र में फिरसे शामिल हुआ है.

(ii) यदि भविष्य में प्रशिक्षण के लिए अनुरुपक (simulator) जैसी आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया गया हो.

4. पायलट लाइसेंस

(1) किसी विशिष्ट पत्तन में पायलट का कार्य करने के लिए हर एक पायलट (और मास्टर पायलट) पायलट लाइसेंस प्राप्त करेगा. यह लाइसेंस केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त होने पर और उप संरक्षक के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा.

(2) पोर्ट से अपना संबंध समाप्त करनेवाला पायलट अपना लाइसेंस तुरंत उप संरक्षक के सुपूर्द करेगा.

(3) निम्न परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा लाइसेंस रद्द किया जा सकता है :-

(क) आचरण तथा अनुशासन नियमों के अधीन दुराचरण तथा/या दुराचरण जो साबित हुआ हो;

(ख) व्यावसायिक दुराचरण;

(ग) नौवहन हताहत (दुर्घटनाएँ) जहाँ उस दुर्घटना की जाँच के बाद व्यावसायिक सक्षमता पर सवाल खडा किया गया हो या लापरवाही साबित हुई हो;

(घ) जहाँ सागरी दुर्घटना पर गठित किये गये औपचारिक जाँच न्यायालय ने दुर्घटना के लिए पायलट को जिम्मेदार ठहराया हो;

(च) यदि सेवा समाप्ति के बाद उपरोक्त (2) की आवश्यकतानुसार लायसेंस लौटाया न हो;

(छ) पायलटेज कार्य के लिए स्वस्थता की दृष्टि से अयोग्य पाया गया हो;

(4) पायलटेज सेवा में, उपसंरक्षक के पद तक अनुवर्ती पदोन्नतियाँ मिलने पर भी पायलट अपना लायसेंस बनाए रखेगा और आवश्यकतानुसार जहाजों का पथप्रदर्शन जारी रखेगा.

5. पोर्ट में पायलट सेवाओं में प्रवेश के लिए शर्तें -

जबतक कोई व्यक्ति अध्यक्षजी को संतोष नहीं दिलाता कि वह निम्न शर्तें पूरी करता है, तबतक उसे पायलट के रुप में नियुक्त नहीं किया जाएगाः

(क) मंडल के अधीन पदोंपर सीधी भरती के लिए योग्यता की शर्तें जो इससे संबंधित विनियम में निर्धारित की गई है,

(ख) जबतक अध्यक्ष द्वारा यह शर्त अन्यथा शिथिल नहीं की जाती; तबतक परिवीक्षाधीन पायलट के रुप में नियुक्ति होने की तिथि पर उसकी आयु 25 से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और

(ग) उसके पास विनियम 3 में विनिर्दिष्ट योग्यताएँ होनी चाहिए.

भाग - III

प्रशिक्षण और परीक्षा

6. प्रशिक्षण

1) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन पायलट को पायलट का कार्य, बंदरगाह के लाईट, सीमा चिन्ह (लैंडमार्क), बोएज तथा बंदरगाह के पायलटेज वॉटर में जहाजों का परिचलन, बंदरगाह में जहाजों का लंगर डालना/निकालना, पोर्ट ट्रस्ट के निजी निकर्षण पोतो का परिचलन और उनके निकर्षण उपकरणों का प्रचालन आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी.

2) प्रशिक्षण पूरा होनेपर, उप संरक्षक की अनुमति प्राप्त हो, तो परिवीक्षाधीन पायलट जहाज चलाने के लिए अपनी योग्यता की परीक्षा देने का आवेदन कर सकता है.

7. परीक्षा के विषय -

परीक्षा में निम्न विषय सम्मिलित होगे :

- बंदरगाह में नौसंचालन तथा गोदियों एवं पोतघाटों के प्रवेशमार्गों के लिए तैयार किये गये विनियम और नियम;
- किन्हीं दो स्थानों के बीच मार्ग और अंतर;
- लहरों का ज्वार भाटा
- लंगरगाह, पत्थर, उथलापानी एवं अन्य खतरे, बंदरगाह में सीमाचिन्ह, बोयाज, संकेतक और लाइटस्;
- जहाजों एवं स्टीमरों का व्यवस्थापन, उन्हें लंगर डालने के लिए लाना तथा ज्वार भाटा में उन्हें लंगरों से मुक्त रखना;
- लंगर डालना, उठाना और मार्गस्थ होना;